

शासनादेश संख्या 556 / 43-2-2008-15 / 02(3) / 2007 टीसी
दिनांक 06-06-08 का सलगनक

कार्यालय का नाम :- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बिजनौर

क्र०सं	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन / अधीनस्थ कार्यालय / निगम / उपक्रम / परिषद / बोर्ड / संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अर्न्तगत तैयार कर वेवसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या
1	2	3	4	5
1	जिला विकलांग कल्याण विभाग बिजनौर	16	0	0

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
बिजनौर

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बिजनौर
जनसूचना के अधिकार के अर्न्तगत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र०सं	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	विकलांगजनो को पेन्शन, कृत्रिम अंग /उपकरण,दूकान संचालन हेतू ऋण आदि योजनायें मुख्य रूप से विशिष्ट कृत्य है।
2	अपने अधिकारों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	राज्य सरकार के निर्देशनुसार कार्य किया जाता है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया ,जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है,	विभाग में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी तैनात नहीं है जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बिजनौर के विकास भवन स्थित भूतल पर कार्यालय के विभागीय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान,	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी नियन्त्रक अधिकारी है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन घरित या अपने कर्मचारियो द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,	शासन एवं निदेशालय द्वारा निर्धारित निगम,प्रक्रियाओं के तहत कार्य करते हुए वरिष्ठलिपिक द्वारा कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण,जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है ,	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन किया जाता है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबध मे लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विदमान है,	विकलांग बन्धू की बैठक कराकर प्राप्त सुझावों /संस्तुतियो पर कार्यवाही की जाती है।
8	बोर्ड,परिषदों,समितियों और और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप मे अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों,परिषदों,समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है,	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय, लिए जाती है। तदानुसार ही योजना क्रियान्वयन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,	नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है,तथा राज्य सरकार के निर्देशो का पालन करते है।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनिमयों में यथाउपबंधित प्रतिका की प्रणाली सम्मिलित हो,	प्रत्येक माह विभागीय प्रगति रिपोर्ट, उपनिदेशक,निदेशक को प्रेषित की जाती है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक आवंटित बजट,	बजट निदेशालय विकलांग कल्याण द्वारा आंबटित किया जाता है, प्रत्येक महा व्यय की सूचना भेजी जाती है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंबटित बजट,	लागू नहीं
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो,अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ,	संस्था द्वारा समस्त सूचनार्ये उच्चधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है तथा प्रिन्ट मिडिया से प्रचार-प्रसार भी कराया जाता है ,
14	किसी इलेक्ट्रनिक रूप में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा बाधित हो,	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्ताकलय या वाचन कक्ष के,यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है,तो कार्य करण घंटे सम्मिलित है,	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
16	जनसूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ,	जनसूचना अधिकारी,उपनिदेशक विकलांग विभाग तथा सहायक जनसूचना अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बिजनौर शासन द्वारा नामित है।

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
बिजनौर